



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority Of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)
कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिलासपुर
Office of Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur
डी-61, एच आई जी - 1, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टैंड के पीछे, तिकरा, बिलासपुर (छ.ग.)
D-61, HIG-1, Abhilasha Parisar, Behind Hitech Bus Stand, Tikra, Bilaspur (C.G.) 495001

दूरभाष : 07752.291604
Phone : 07752-7291604
Email : piubilaspur@nhai.org
Email : piubilaspur@gmail.com
Web : www.nhai.gov.in



भारतमाला
प्रति के प. रा. माला

27011/7/2020/प.नि.-बिला./बिला.-उरगा/फॉरेस्ट/5963

दिनांक:15.06.2020

स्मरणपत्र

प्रति,

कलेक्टर,
जांजगीर-चाम्पा,
जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

विषय:-बिलासपुर-उरगा रा.रा.संख्या 130ए के अन्तर्गत प्रभावित वनभूमि/राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं ग्रामसभा की बैठक आयोजित कराने बाबत।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय का पत्रक्र 3389, दिनांक 22.02.2019
2. इस कार्यालय का पत्रक्र 4899, दिनांक 03.12.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रक्र (1) एवं (2) के माध्यम से इस कार्यालय द्वारा बिलासपुर-उरगा रा.रा.संख्या 130ए के अन्तर्गत प्रभावित वनभूमि/राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आपको लेख किया गया है।

वनअधिकार अधिनियम 1980 संशोधित 2006 के तहत आपके द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।

अतः आपसे पुनः निवेदन है कि जिला-जांजगीर-चाम्पा के अन्तर्गत उक्त परियोजना में प्रभावित वनभूमि/राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।

पूर्व में इस कार्यालय द्वारा कई परियोजनाओं जैसे पथरापाली से कटघोरा एवं चाम्पा से उरगा राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है जिसकी प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न की जा रही है।

सधन्यवाद।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

परियोजना निदेशक,

प.का.ई., बिलासपुर (छ.ग.)

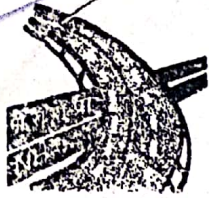
प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, भा.रा.रा.प्रा. क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा), जांजगीर की ओर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

[स्वच्छ रहें भारत, स्वच्छ रहें हम]

D:/Documents-Data-Letter Files

मुख्यालय . जी-5 एवं 6, सेक्टर-10 द्वारका, नई दिल्ली - 110075, दूरभाष : 011-25074100 / 200
H.Q. : G-5&6, Sector-10 Dwarka, New Delhi-110075, Telephone No. : 011-25074100 / 200



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)
कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिलासपुर
Office of Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur
सी-61, एच.आई.जी.-1, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टैंड के पीछे लिफ्टा, बिलासपुर (छ.ग.)
D-61, HIG-1, Abhishekar Pariser, Behind Hitech Bus Stand, Tifra, Bilaspur (C.G.) 495001

दूरभाष : 07752-291804
Phone : 07752-291604
Email : plubilaspur@nhai.org
Email : picbilaspur@gmail.com
Web : www.nhai.gov.in



भारतमाला
प्रति के पथ पर अग्रसर

27011/7/2019/प.नि.-बिला./बिला.-उरगा/फॉरेस्ट/4899

दिनांक: 03.12.2019
स्मरणपत्र

प्रति,

कलेक्टर
जांजगीर-चाम्पा,
जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

विषय:- बिलासपुर-उरगा रा.रा.संख्या 130ए के अन्तर्गत प्रभावित वनभूमि/राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं ग्रामसभा की बैठक आयोजित कराने बाबत।

संदर्भ:- 1. डी.पी.आर. सलाहकार मैसर्स ट्रांसिस कन्स. प्रा.लि. का पत्र क्र. 152, दिनांक 03.10.2019
2. इस कार्यालय का पत्र क्र. 3389, दिनांक 22.02.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्र. (2) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से इस कार्यालय द्वारा बिलासपुर-उरगा रा.रा.संख्या 130ए के अन्तर्गत प्रभावित वनभूमि/राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं ग्रामसभा की कार्यवाही हेतु आपकी ओर लेख किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

अतः आपसे निवेदन है कि संलग्न सूची के अनुसार ग्रामवार प्रभावित खसरा नम्बरों/रकबा का अनापत्ति प्रमाण पत्र वनअधिकार अधिनियम 1980 संशोधित 2006 के तहत आपके द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।

एवं साथ ही संबंधित ग्राम पंचायतों के द्वारा वनअधिकार अधिनियम 1980 संशोधित 2006 के तहत बैठक आयोजित किया जाना है, बैठक में की गई कार्यवाही का विवरण अनिवार्य है।

अतः आपसे पुनः निवेदन है कि उक्त दो बिन्दुओं पर अतिशीघ्र कार्यवाही करने का कष्ट करें। जिससे उक्त परियोजना में प्रभावित वनभूमि/राजस्व वनभूमि का ऑनलाईन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके।

सधन्यवाद।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

परियोजना निदेशक,
प.का.ई., बिलासपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, भा.रा.रा.प्रा. क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल चाम्पा/जांजगीर, जिला-जांजगीर-चाम्पा की ओर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर, जिला-जांजगीर-चाम्पा की ओर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।
4. डी.पी.आर. सलाहकार मैसर्स ट्रांसिस कन्स. प्रा.लि. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[Signature]
दि. 4/12/2019
D:\Documents-Data-Letter Files

[स्वच्छ रहें भारत, स्वच्छ रहें हम]



भारतमाला
जहाँ से सब का सब

27011/7/2019/प.नि.-बिला./बिला.-उरगा/फॉरेस्ट/3389
प्रति,

दिनांक: 22.02.2019

कलेक्टर
जांजगीर-चाम्पा,
जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

विषय:- बिलासपुर-उरगा रा.रा.संख्या 130ए के अन्तर्गत प्रभावित वनभूमि/राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं ग्रामसभा की बैठक आयोजित कराने बाबत।

संदर्भ:- डी.पी.आर. सलाहकार मैसर्स ट्रांसिस कन्स. प्रा.लि. का पत्र क्र. 152, दिनांक 03.10.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, डी.पी.आर. सलाहकार मैसर्स ट्रांसिस कन्स. प्रा.लि. द्वारा बिलासपुर-उरगा रा.रा.संख्या 130ए के अन्तर्गत प्रभावित वनभूमि/राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं ग्रामसभा की कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को लेख किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

अतः आपसे निवेदन है कि संलग्न सूची के अनुसार ग्रामवार प्रभावित खसरा नम्बरों/रकबा का अनापत्ति प्रमाण पत्र वनअधिकार अधिनियम 1980 संशोधित 2008 के तहत आपके द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।

एवं साथ ही संबंधित ग्राम पंचायतों के द्वारा वनअधिकार अधिनियम 1980 संशोधित 2008 के तहत बैठक आयोजित किया जाना है, बैठक में की गई कार्यवाही का विवरण अनिवार्य है।

अतः आपसे पुनः निवेदन है कि उक्त दो बिन्दुओं पर अतिशीघ्र कार्यवाही करने का कष्ट करें। जिससे उक्त परियोजना में प्रभावित वनभूमि/राजस्व वनभूमि का ऑनलाईन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके।

सधन्यवाद।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

परियोजना निदेशक,
प.का.ई., बिलासपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, भा.रा.रा.प्रा. क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल चाम्पा/जांजगीर, जिला-जांजगीर-चाम्पा की ओर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर, जिला-जांजगीर-चाम्पा की ओर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।
4. डी.पी.आर. सलाहकार मैसर्स ट्रांसिस कन्स. प्रा.लि. की ओर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।